

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन की पात्रता सम्बन्धि जांच रिपोर्ट
(लाभार्थी आवेदक के नवीन रजिस्ट्रेशन/अपात्र से पात्र कराये जाने हेतु।)

1	कृषक का नाम	
2	पिता का नाम	
3	पति का नाम (महिला आवेदक)	
4	आधार नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें।)	
5	मोबाइल नम्बर	
6	निवास का पूर्ण पता	
7	योजना का रजिस्ट्रेशन नम्बर (वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट संलग्न करें)	

8-कृषक द्वारा धारित भूमि का विवरण

इनके स्वामित्व की कृषि भूमि दिनांक 01.02.2019 को अथवा इससे पूर्व से धारित है।					
अथवा इनके स्वामित्व की कृषि भूमि दिनांक 01.02.2019 के पश्चात् विरासत से प्राप्त होकर धारित है।					
ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	कृषक का हिस्सा	कुल धारित रकबा

9-	क्या कृषक पीएम-किसान योजना में पात्रता रखता है या नहीं	
10-	क्या कृषक गत कर निर्धारण वर्ष में आयकरदाता रहा है अथवा नहीं	
11-	कृषक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में आता है	
(अ)-	पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं/ विधानमण्डल के पूर्व/वर्तमान सदस्य, पार्षद, नगर निगम के पूर्व/वर्तमान मेयर, पूर्व व वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष	
(ब)-	केन्द्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, मंत्रालय/कार्यालय /विभाग और इसकी क्षेत्रीय ईकाई/केन्द्रीय या राज्य पीएसई और संबद्ध कार्यालय /सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान/स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर)	
(स)-	सेवा निवृत्त पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन रुपये 10000 या अधिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर)	
(द)-	किसी भी संवैधानिक पद का पूर्व/वर्तमान धारक	
(य)-	डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत है और अभ्यास करके अपना पेशा चला रहे है।	
12-	कृषक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य योजना में पूर्व से लाभार्थी है अथवा नहीं।	
13-	पूर्व में कृषक को अपात्र/Ineligible किये जाने का कारण अंकित करें।	

प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कृषक की पात्रता सम्बन्धि पूर्णतः जांच कर ली गई है। कृषक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता रखता/रखती है। अतः उक्त कृषक को योजना का लाभ दिलाये जाने/अपात्र से पात्र घोषित कराया जाकर पोर्टल पर Inactive से Active कराये जाने की अभिशंषा की जाती है।

नाम तहसील :-

नाम भू.अ.नि.वृत्त :-

नाम पटवार मण्डल :-

हस्ताक्षर पटवारी

मय सील

हस्ताक्षर
तहसीलदार (भू.अ.)

मय सील